

MEDIA COUNCIL TO OVERSEE TV, DIGITAL AND PRINT

The idea of Media Council to oversee the TV, Digital and Print is an interesting proposition and will have a unified command for all the key stakeholders in the media space.

The Press Council of India proposal to the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) for establishing a Media Council that encompasses all media platforms like TV, print and digital is an interesting idea and the Govt should look at it seriously.

"The Ministry had earlier received a proposal from the Press Council of India regarding constitution of Media Council encompassing various media platforms," Information & Broadcasting (I&B) minister Anurag Thakur said.

Thakur also said that the three mediums have different regulatory mechanisms. "At present, separate regulatory mechanisms exist for different media platforms - Press Council of India under the Press Council Act, 1978 for print media, Cable TV Network (Regulation) Act, 1995 for television and the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 under the Information Technology Act, 2000 for digital news publishers and OTT platforms," he noted.

Last year, the PCI had informed its members about its resolve to recommend to the Centre to make suitable amendments to the existing Press Council Act, 1978 to include electronic media, news channels, e-papers, social media etc under one legislation.

In a letter dated September 29, 2020, the PCI had told its members that the decision to recommend a Media Council was in continuation of the council's belief that "when the print media has a watchdog in the Press Council of India, in the opinion of the council, clearly, something parallel is advisable for the entire media".

This includes newspapers and periodicals in print or other form, e-newspapers, news portals, social media and any other platforms of news dissemination besides electronic media (TV channels as also radio).

It remains to be seen how seriously this is taken forward and its implementation. ■

टीवी, डिजिटल और प्रिंट की निगरानी करेगा मीडिया परिषद

टीवी, डिजिटल और प्रिंट की देखरेख के लिए मीडिया काउंसिल का विचार एक दिलचस्प प्रस्ताव है और मीडिया क्षेत्र में सभी प्रमुख हितधारकों के लिए एक एकीकृत कमान होगी।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को एक मीडिया काउंसिल की स्थापना का प्रस्ताव जिसमें टीवी, प्रिंट और डिजिटल जैसे सभी मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं, एक दिलचस्प विचार है और सरकार को इसे गंभीरता से देखना चाहिए।



सूचना और प्रसारण (आईएंडबी) मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा 'मंत्रालय को पहले भारतीय प्रेस परिषद से विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों को शामिल करते हुए मीडिया परिषद के गठन के संबंध में एक प्रस्ताव मिला था।'

श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि तीनों माध्यमों में अलग-अलग नियामक तंत्र है। 'वर्तमान में, विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए अलग-अलग नियामक तंत्र मौजूद हैं-प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद, टेलीविजन के लिए केवल टीवी नेटवर्क (विनियम) अधिनियम 1995 और डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए सूचना तकनीकी एक्ट 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता कोड) नियम, 2021 है।

पिछले साल, पीसीआई ने अपने सदस्यों को एक कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार चैनल, ई-पेपर, सोशल मीडिया आदि को शामिल करने के लिए मौजूदा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए केंद्र को सिफारिश करने के अपने संकल्प के बारे में सूचित किया था।

19 सितंबर 2020 को लिखे एक पत्र में, पीसीआई ने अपने सदस्यों से कहा था कि मीडिया परिषद की सिफारिश करने का निर्णय परिषद की इस धारणा के अनुरूप था कि 'जब भारतीय प्रेस परिषद में प्रिंट मीडिया का एक प्रहरी है, तो उसकी राय में परिषद, स्पष्ट रूप से, कुछ समांतर पूरे मीडिया के लिए उचित है।'

इसमें प्रिंट या अन्य रूप में समाचार पत्र और पत्रिकाएँ, ई-समाचार पत्र, समाचार पोर्टल, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी चैनल और रेडियो भी) के अलावा समाचार प्रसार का कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म शामिल है। देखना होगा कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जाता है और इसे अमल में लाया जाता है। ■